

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 241

दिनांक:- 22-05-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री खानिवाल ह. कपरी मीजा

जति मीजा उम्र ... नि० ... तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदायत ... दिनांक ... को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रो०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मीजा ... पंचायत समिति ... में स्थित खाता संख्या 46 पर आराजी नं० 1739/1320 कुल 1 बीघा ... बिस्वा किता 1 योग रकबा 1 बीघा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते हैं और लडाई झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी ... नि० ... ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम ... के खसरा नं० 1613/1320 रकबा ... बीघा 1.2 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 0.12 बीघा की जमाबंदी सम्वत् 2013-76 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मीजा ... में स्थित खाता संख्या 46 पर आराजी नं० 1739/1320 रकबा 1 बीघा कुल किता ... कुल रकबा 1 बीघा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मीजा ... में स्थित खाता संख्या 46 पर आराजी नं० 1739/1320 रकबा 1 बीघा कुल किता ... कुल रकबा 1 बीघा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक ... के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 500/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फौसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगरपुर